FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 28)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शेराराम पुत्र राजूराम 2. वगताराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी नया कुआ, मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर		1. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. आडेल 2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. बाड़मेर 3. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. बाड़मेर 4. तहसीलदार नौखड़ा

किस्म मुकदमा......धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. मु०नं०...160 / 23.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
16.08.2023	प्रार्थीगण शेराराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री दलाराम चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. आडेल वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम नया कुआ पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 93 / 8 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 3.6664 हैक्टेयर की आई हुई है, जिस पर वक्त सैटलमेंट से आजदिन तक लगातार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की ढाणियां, टांके व पशुबाडे आदि बने हुए हैं, वर्तमान में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अपने चहेतों को निजी लाभ हुंचाने की नीयत से डामर सड़क स्वीकृत कर प्रार्थीगण की खातेदारी के बीचों बीच बिना कटान मार्ग व बिना सरकारी रास्ते के ताकत के बल पर जबरन सड़क मार्ग निमाकलने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण कटान मार्ग को छोड़कर प्रार्थी की भूमि के अन्दर से सड़क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालयश्री में पेश किया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार हैं, चूंकि वकील प्रार्थीगण की बहस अनुसार विप्रार्थीगण कटान मार्ग छोड़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्दर से जबरन सड़क बनाने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है, एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी नया कुआ पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील नौखडा में खेत खसरा नम्बर 93 / 8 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 3.6664 हैक्टेयर भूमि के रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखें लेकिन कटान मार्ग पर सड़क निकालने पर स्थगन आदेश से प्रभावित [illegible] योजना हेतु भी स्थगन प्रभावी नहीं होगा। वकील प्रार्थी[illegible] विप्रा[illegible] के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा [illegible] को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.09.2023 को पेश हो। (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नौखड़ा 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (रामजी भाई कलबी) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:04:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4/9/23 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 8/11/23 को पेश हो ।

8/11/23 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 5/1/24 को पेश हो ।

5/1/24 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 12/2/24 को पेश हो ।

12/2/24 पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी विपक्षीगण के सम्मन डाक द्वारा भेजने
का अवसर चाहते हैं, अवसर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 1/3/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी

1/3/24 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 15/5/24 को पेश हो ।

27/5/24 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 31/5/24 को पेश हो ।

31/05/24 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित।
प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण
को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार
तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद
आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के
अधिवक्ता [illegible] हैं। उनका
उक्त प्रकरण [illegible]
व उक्त पैरवी में [illegible] है।
पत्रावली निर्णय [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:04:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner